

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हुए

मदन बनाम श्री रणजीत सिंह गोदारा एसडीओ सिकराय व अन्य

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

मु0न0 22/2022

25.03.2022

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री रविन्द्र शर्मा को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी हो। उप जिला कलक्टर सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 22.04.2022 को पेश हो।

ल०दि०
२५३
२५/३/२२

अति० जिला कलक्टर
दौसा

२२/५/२२

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबों के पत्र तलबी अधिवक्ता की फांला एवं SPO सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर पत्रावली दिनांक 6-5-22 को पेश हो।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

06-5-22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण को बार-बार आवान लगावने के उपरांत भी अधिवक्ता प्रार्थीगण का अधिवक्ता प्रार्थीगण को श कोर्ट की पेशी हेतु उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निरुद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। तलबी ली न पीछा सी न अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय

अभियोगः

अति० जिला कलक्टर



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुं० २२/२०२२ अपत्र स्थानांतरण उनवान. मदन कौरा बनाम रणजीत सिंह गोसरा वगैरा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>का स्थानांतरण हो चुका है तथा आवेदन प्राचीन अथवा प्राचीन में से कोई भी पैकी हेतु उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्राचीन पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये न्यायालय उपखण्ड आवेकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर ५५/२०१४ उनवानी बाबूलाल बनाम सैडमल कौरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्राचीन मदन पुत्र गीखालाल कौरा जाति ब्राह्मण निवासी सिकराय तहसील सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति आवेदन न्यायालय उपखण्ड आवेकारी सिकराय के मिजवाईजाके पत्रावली के सत्र शुमार की जाकर नम्बर १६ क्रम है। एवं बाद प्रति प्रविष्ट लेख गण्डार की जाके निर्णय आज दिनांक ०६-१२-२२ को मेरे द्वारा खुद न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(आर. के. मीना)
 अति. जिला कलक्टर
 दौसा